दिनांक 23.05.2018 को नगर निगम, आगरा के सभागार कक्ष में आयोजित नगर पथ विक्रय समिति (टी०वी०सी०) की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 23.05.2018 को अधोहरताक्षरी की अध्यक्षता में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता योजनान्तर्गत नगर पथ विक्रय समिति (टी०वी०सी०) की द्वितीय बैठक आयोजित की गयी। नगर पथ विक्रय समिति (टी०वी०सी०) की द्वितीय बैठक में उपस्थिति का निम्नवत है:-

क0स0	नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर	नियमावली के अनुसार पद
1	श्री विजय कुमार	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम		अध्यक्ष
2	डा0 मनमोहन अग्रवाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम		सदस्य
	श्रीमती सुनीता सिंह	एस0पी0ट्रेफिक		सदस्य
3	श्री उमेश गोतम	फायर ऑफिसर शास्त्री पुरम	9454418458	सदस्य
4	श्री संजीव प्रधान	पर्यावरण अभियन्ता नगर निगम	7300740631	सचिव/सदस्य
5	श्री संजय कुमार पथरिया	परियाजना अधिकारी डूडा	8573002246	सदस्य
6	श्रीमती इन्दूबाला सत्यार्थी	सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा		सदस्य
7	श्री दयाशंकर	सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0		सदस्य
8	श्री अमित राठौर	सहायक अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद		सदस्य
9	श्री सोमकमल	टी0एस0, आगरा विकास प्राधिकरण		
10	श्री अभिषेक वर्मा	सी0एम0एम0 डूडा आगरा	9792730565	सदस्य
11	श्री गौरव गौतम	सी0एम0एम0 डूडा आगरा	7500850006	सदस्य
12	श्री विजय कुमार सिंह	लीड बैंक मैनेजर		सदस्य
13	श्री यतेन्द्र प्रकाश आर्य	स्ट्रीट वेन्डर प्रतिनिधि		
14	श्री पुष्पेन्द्र भास्कर	स्ट्रीट वेन्डर प्रतिनिधि		
15	श्री मुकन्दी लाल नीलम	स्ट्रीट वेन्डर प्रतिनिधि		
16	श्री श्याम बिहारी	स्ट्रीट वेन्डर प्रतिनिधि		सदस्य
17	श्री राकेश कुमार	स्ट्रीट वेन्डर प्रतिनिधि		सदस्य
18	श्री हीरालाल	स्ट्रीट वेन्डर प्रतिनिधि		सदस्य
19	श्री उदय पाल सिंह चौहान	टी0वी0सी0 सदस्य		सदस्य
20	श्री जय शाह	पीएमसी स्मार्ट सिटी		

Scanned with CamScanner

21	श्री नरेन्द्र यादव	स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधि	7895836508	
22	श्री राकेश जैन	पार्षद	9412257850	सदस्य
23	श्री रवि माथुर	पार्षद	98970711841	सदस्य
24	श्रीमती पुष्पा देवी	स्ट्रीट वेंडर	8859446633	सदस्य
25	श्री मुरारी लाल	स्ट्रीट वेंडर	9837116526	सदस्य
26	श्रीमती पुष्पा देवी	स्ट्रीट वेंडर	8958825981	सदस्य
27	श्रीमती ईर्शा देवी	स्ट्रीट वेंडर		सदस्य
28	श्रीमती ऊशा देवी	स्ट्रीट वेंडर ताजंगज	8909804312	सदस्य
29	श्री सिद्वार्थ गुप्ता	मैनेजर स्किल		सदस्य
30	श्री बॉबी लाले	प्रतिनिधि उधोग एवं व्यापार मण्डल		
31	श्री अंकित अग्रवाल	बी0एम0जे0 कम्पाउण्ड बोदला	9808212402	
32	श्री अशोक कुमार	समुदायिक आयोजक		
33	श्री यशपाल	समुदायिक आयोजक		
34	श्री अजय	समुदायिक आयोजक		
35	श्री राहूल तौमर	समुदायिक आयोजक		
36.	श्री रामवीर सिंह	समुदायिक आयोजक		

नगर निगम आगरा सीमा क्षेत्र में पथ विकेताओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं पंजीकरण आदि कार्यो हेतु चयनित संस्था मै0 युग एसोसियेट, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री विनोद शर्मा द्वारा वर्तमान तक शहरी पथ विकेताओं को सहायता योजनान्तर्गत किये गये कार्यो का प्रस्तुतीकरण किया गया।

<u>सिटी वेन्डिंग प्लान के अनुमोदन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश</u>

विक्रय परिक्षेत्रों के निर्धारण हेतु मानक

1. सभी फ्लाई ओवर व फुट ओवर ब्रिज प्रतिबन्धित विक्रय परिक्षेत्र होंगे। इन सभी क्षेत्रों में वेंण्डिग का कार्य प्रतिबंधित होगा।
2. सभी चौराहे 50 मीटर तक मध्य से प्रतिबंधित विक्रय परिक्षेत्र होंगे।
3. सभी राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिबंधित परिक्षेत्र होंगे।
4. सभी मुख्य शासकीय कार्यालय, स्कूल, कालिज, स्टेशन, बस स्टैण्ड व सभी हास्पिटल, नर्सिंग होम के प्रवेश व निकास द्वार से 20 मीटर तक प्रतिबंधित विक्रय परिक्षेत्र होंगे।
5. आवासीय कालोनी के भीतर विक्रय परिक्षेत्र नहीं होंगे व आवासीय कालोनी के अन्दर वेंण्डिग प्रतिबंधित होगी।
6. धार्मिक स्थलों पर केवल फूल, प्रसाद व पूजा सामग्री के विक्रय की अनुमति होगी लेकिन पथ विक्रेताओं की संख्या निर्धारण का कार्य पथ विक्रय समिति करेगी व पथ विक्रेता धार्मिक स्थलों के प्रवेश व निकास द्वार से 20 मीटर तक वेंण्डिग प्रतिबंधित होगी।
7. 6 मीटर तक चौडी सडक प्रतिबंधित विक्रय परिक्षेत्र होगी केवल इस दशा में वेंण्डिग की अनुमति होगी की उस मार्ग को वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया हो।
8. 9 मीटर तक चौडी सडक पर विक्रय परिक्षेत्र उसी दशा में बनाया जाएगा जा कि उस मार्ग को वन वे (एकल मार्ग) घोषित किया गया हो व कम से कम 6 फीट चौडी पटटी उपलब्ध हो।
9. 24 मीटर तक चौडी सडक पर विक्रय परिक्षेत्र सडक में केवल एक ओर ही बनाए जाएंगे।
10. सडक पर निर्धारित विक्रय परिक्षेत्र में एक वेण्डर के आगे दूसरा पथ विक्रेता किसी भी दशा में खडा नहीं होगा।
11. हर 2 या 3 वार्ड को मिलाकर एक फल व सब्जियों के बाजार विकसित किये जाएंगे व उनमें पथ विक्रेताओं की धारण क्षमता 100 से अधिक नहीं होगी।
12. प्रत्येक चिन्हित विक्रय परिक्षेत्र की एक धारण क्षमता निर्धारित की जाएगी जिससे अधिक पथ विक्रेताओं को उसमें समायोजित नहीं किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

13. टाउन वेन्डिंग कमेटी को यह अधिकार होगा कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग व आवासीय परिक्षेत्र में उचित स्थान है तो उसमें वेन्डिंग जोन बनाया जा सकता है।

14. पथ विक्रेताओं द्वारा विक्रय शुल्क को सी0एल0सी0 द्वारा एकत्र किया जायेगा। जिसके लिये नगर निगम प्राप्त शुल्क का कम से कम 5 प्रतिशत कलैक्शन चार्ज सी0एल0सी0 को देगा।

धारण क्षमता

1. किसी भी प्रस्तावित विक्रय परिक्षेत्र में धारण क्षमता से अधिक कार्यरत पथ विक्रेताओं की संख्या होने पर निर्धारित विक्रय परिक्षेत्र में स्थल का आवटंन धारण क्षमता के क्रम में कार्यरत पथ विक्रेताओं के बीच लाटरी से किया जाएगा।
2. किसी भी प्रस्तावित विक्रय परिक्षेत्र से धारण क्षमता से अधिक पथ विक्रेता होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नये चिन्हित विक्रय परिक्षेत्रों में पुनः स्थापित किया जाएगा।

   या

   चिन्हित आस पास के परिक्षेत्र में जहां धारण क्षमता से कम पथ विक्रेता है उन पथ विक्रेताओं को स्थापित किया जाएगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016

प्रत्येक पथ विक्रेता जनित ठोस अपशिष्टों का प्रथकीकरण करेगा व जैविक वह अजैविक कचरे हेतु अलग अलग कन्टेनर रखेगा व नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर डालेगा।

किसी भी दशा में पथ विक्रेता जनित अपशिष्टों को सडक, नाली, फुटपाथ पर नहीं डालेगा। पथ विक्रेता कचरे का पृथक्कीकरण करेगा व निर्धारित अलग अलग डस्टबिन में डालेगा पथ विकेता नगर निगम द्वारा अधिकृत संस्था को अपशिष्ट सौंपेगा व नगर निगम द्वारा निर्धारित युजर चार्जिज अदा करेगा।प्रत्येक पथ विक्रेता विक्रय स्थल व आसपास सफाई रखेगा।

सभी खाद्य पदार्थ बेचने वाले पथ विक्रेता नगर निगम द्वारा निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करेगा

पथ विक्रेताओं के लिए आवश्यक दिशा–निर्देशों का अनुमोदन किया गया।

1. पथ विक्रेता द्वारा निर्धारित स्थल पर ही वेंण्डिग का कार्य किया जाएगा व किसी भी दशा में निर्धारित स्थल से अधिक स्थल का उपयोग नहीं करेगा।
2. वेंण्डिग के समय पथ विक्रेता पहचान पत्र रखेगा व मांगने पर प्रस्तुत करेगा।
3. पथ विक्रेता निर्धारित समय व निर्धारित वेंण्डिग जोन में भी वेंण्डिग का व्यवसाय करेगा।
4. पथ विक्रताओं द्वारा विक्रय परिक्षेत्र में नगर निगम द्वारा प्रदत्त परिसम्पत्तियों/मूलभूत सुविधाओं की देखरेख करेगा।
5. पथ विक्रेता विक्रय परिक्षेत्रों में ध्यान रखेगा कि वेंण्डिग द्वारा विक्रय परिक्षेत्र में यातायात बाधित न हो।
6. सभी फुट ओवर ब्रिज ओर फ्लाईओवर प्रतिबंधित वेंण्डिग क्षेत्र होंगे।
7. वेंण्डिग परिक्षेत्र के अलावा कहीं भी वेंण्डिग गतिविधि केवल टाउन वेंण्डिग कमेटी निर्धारित करेगी।

अनुमोदित विक्रय परिक्षेत्रों में सफाई व्यवस्था हाईजीन पथ विकेताओं द्वारा किया जायेगा।

विक्रय परिक्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था व नगर निगम द्वारा स्थापित मूलभूत सुविधाओं का संरक्षण पथ विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा।

श्री विनोद शर्मा द्वारा आई0एस0बी0टी0, बस स्टैण्ड के पास मॉडल वेन्डिंग जौन का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसकी कुल लागत 42.30 लाख रूपये है। श्री विनोद शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल डी0आई0पी0 प्रस्तुत करें।

टाउन वेन्डिंग कमेटी द्वारा मॉडल वेन्डिंग जोन के रूप में विकसित करने हेतु व युग एसोसियेट द्वारा डी0आई0पी0 तैयार करने हेतु 5 स्थानों को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

1. आई0एस0बी0टी0 बस स्टैण्ड के पास।
2. खंदारी चौराहा।
3. रामबाग चौराहा।
4. भगवान टाकिज चौराहा।

Scanned with CamScanner

5. होटल फोर पोइन्ट के सामने फतेहाबाद रोड पर।

श्री विनोद शर्मा जल्द से जल्द मॉडल वेन्डिंग जोन हेतु डी0आई0पी0 व सिटी वेन्डिंग प्लान की फाईनल कॉपी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायें। नगर निगम द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर वेन्डिंग जोन व नोन वेन्डिंग जोन में डिजीटल बोर्ड लगाने, मार्डन कार्ट विकसित करने एवं फूड स्ट्रीट विकसित करने हेतु ई–टेण्डर आमंत्रित किया गया था। जिसमें 3 संस्थाओं द्वारा टेण्डर डाला गया। जो निम्नवत है:–

1. आदर्श सेवा समिति
2. एम0एस0सर्विसेज
3. शिवम सेवा समिति

उपरोक्त तीनों संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अनुबन्ध हेतु पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायें।

अन्त में नगर पथ विक्रय समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की गयी व परियोजना अधिकारी, डूडा को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक एक माह के अन्दर आहूत की जाय, जिसमें आज की बैठक में लिये गये निर्णयों की समीक्षा की जायेगी।

5/6/18

O/C नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा।

कार्यालयः नगर निगम, आगरा।

पत्रांकः– 44 /न.नि.स./टी0वी0सी0/2018–19 दिनांकः– 04/06/2018

प्रतिलिपिः–:

1. मिशन निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
2. नगर फेरी नीति के समस्त सदस्यों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. परियोजना अधिकारी डूडा आगरा को अनुपालनार्थ।
4. मै0 युग एसोसियेट लखनऊ को अनुपालनार्थ।

5/6/18

O/C नगर आयुक्त

Scanned with CamScanner